पत्रांक-I प्रा0आ0-10/2008 ...1082.../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर० के० सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी,

पटना-15, दिनांक- 2/5/08

विषय: संभावित बाढ़ 2008 के पूर्व, बाढ़ के समय एवं बाढ़ोपरान्त पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्य हेतु आवश्यक तैयारियां करने के संबंध में मार्गनिर्देशिका।

महाशय,

राज्य के कतिपय जिलों में प्राय: प्रतिवर्ष अथवा प्रत्येक दूसरे वर्ष बाढ़ का प्रकोप आता है। बाढ़ के पूर्व तैयारी तथा बाढ़ आने पर कार्रवाई के संबंध में पूर्व से स्पष्ट दिशा-निर्देश है। आपने तदनुसार कार्रवाई प्रारम्भ कर दी होगी। यदि नहीं तो Check list बनाकर तुरन्त कार्रवाई प्रारम्भ कर दें। उनमें से निम्नलिखित मुख्य बिन्दु पर आपका ध्यान पुन: आकृष्ट किया जाता है.-

1. पूर्व तैयारी

चूंकि प्राय: 22 जिलों में flood एक recurring hazard है अत: यह अपेक्षा की जाती है कि इन जिलों में बाढ़ तथा उससे होनेवाली क्षति का सामना सुव्यवस्थित ढंग से होगी, परन्तु गत वर्ष बाढ़ के दौरान यह देखा गया कि पूर्ववर्ती वर्षों के अनुभवों के बावजूद बाढ़ आने के उपरान्त प्रशासन के द्वारा Respond करने तथा सहायता उपलब्ध कराने में समय लगा। यह मान्य नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि तैयारी पूर्व से रहे और बाढ़ आने पर तुरत प्रशासन लोगों को अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति में हो।

2. तटबंधों की सुरक्षा

15 मई तक अपने जिला के अन्तर्गत तटबंधों का निरीक्षण करा लें एवं जिन स्थानों पर तटबंधों की सुदृढ़ीकरण/मरम्मति की आवश्यकता है, उस ओर जल संसाधन विभाग का ध्यान तुरत आकृष्ट किया जाय। जल संसाधन विभाग से अनुरोध है कि 15 मई तक अपने पदाधिकारियों से तटबंधों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर लें एवं जहां सुदृढ़ीकरण करना हो उसे 30 जून तक अवश्य कर लें। जल संसाधन विभाग से यह भी अनुरोध है कि आवश्यक्तानुसार चिन्हित बिन्दुओं पर खाली बोरे, बालू की

व्यवस्था रखें ताकि embankment protection का कार्य आवश्यकता पड़ने पर तुरत शुरू किया जा सके।

नदियों में उफान आने पर तटबंधों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कर लें इसके लिए चौकीदार/होमगार्ड की सेवाएं ली जा सकती हैं और जल संसाधन एवं अन्य विभाग के कनीय अभियंताओं के साथ उन्हें प्रतिनियुक्त पेट्रोलिंग टीम बनाई जा सकती है। पेट्रोलिंग टीम का यह दायित्व रहेगा कि सभी बिन्दु पर कटाव होने की सूचना प्रखंड/जिला प्रशासन तथा जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को तुरंत दें। यह भी आशंका रहती है कि ग्रामीणों के द्वारा कतिपय स्थलों पर तटबंध काट दिया जाय। पेट्रोलिंग पार्टी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार का कोई प्रयास सफलीभूत न हो।

3. <u>सूचना व्यवस्था</u>

जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह व्यवस्था कर लें कि जिला के अन्तर्गत आनेवाले नदियों के विभिन्न स्थलों पर जल स्तर की सूचना आपको वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रतिदिन प्राप्त हो। इसके लिए पुलिस वायरलेस का उपयोग किया जा सकता है। संबंधित नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाले वर्षापात की सूचना जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी आपको उपलब्ध करायेंगे। यह सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन के क्षेत्रीय कर्मचारी (जन सेवक, कर्मचारी, पंचायत सेवक) के माध्यम से प्रखंड एवं अंचल को तथा प्रखंड/अंचल से आपको किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आने की सूचना तुरत दे।

4. <u>नाव</u>

सरकारी नावों की मरम्मति करा लें। जिला के अन्तर्गत उपलब्ध निजी नावों का ब्यौरा प्राप्त कर इसका सत्यापन (Verification) करा लें। जहां नाव देने की आवश्यकता होती है उसकी सूची बना लें तथा उन स्थलों पर कौन नाव तथा नाविक प्रतिनियुक्त रहेंगे उसे इंगित कर दें। बाढ़ आने पर प्रतिनियुक्ति आदेश तुरत जारी कर दें तथा उपर्युक्त स्थल पर नाव चल रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय-समय पर करवायें। चलाये जा रहे नावों पर तख्ती लगा रहे जिसपर अंकित रहे कि यह राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क सेवा है। इस संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन 25 मई तक भेजें।

5. <u>पालीथीन शीट्स की व्यवस्था</u>

आवश्यकतानुसार विस्थापितों के लिए पालीथीन शीट्स का क्रय एवं भंडारण 15 जून तक सुनिश्चित कर लें। पूर्व क्रय मात्र उतनी हो जितना खपत हो जाने की आशा है, शेष के लिए rate contract करके रखें ताकि आवश्यकतानुसार उससे अतिरिक्त आपूर्त्ति तुरत प्राप्त किया जा सके।

6. शरण स्थल

प्राय: यह देखा गया है कि बाढ़ आने पर प्रभावित परिवार तटबंधों पर अथवा रोड के किनारे शरण लेते हैं। शरण स्थलों को चिन्हित कर लें। यह स्थल ऊंचे स्थानों पर स्कूल भवन, पंचायत भवन अथवा अन्य ऊंची भूमि आदि हो सकती है। बांध पर अथवा सड़क के किनारे जहां लोग अमूमन शरण लेते हैं वहां पूर्व से आवश्यक तैयारी रहनी चाहिए। ऐसे इंगित स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित की जानी होगी। इसके लिए वहां high head का चापाकल गाड़ा जाय। वहीं पर मेडिकल कैम्प लगाई जाएगी एवं community borehole latrine की व्यवस्था की जाएगी।

7. आवश्यक दवाओं की व्यवस्था

जिला पदाधिकारी सिविल सर्जन के परामर्श से आवश्यक दवाओं की भंडारण सुनिश्चित कर लें। कै-दस्त के लिए दवा, सर्पदंश आदि की दवा तथा पीने के लिए पानी हेतु हैलोजन टेबलेट तथा स्वच्छता हेतु ब्लीचिंग पाउडर की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

8. मोबाइल मेडिकल टीम

सभी शरण स्थल पर मेडिकल कैम्प के लिए आवश्यक चिकित्सा/पारा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में बड़े शरण स्थलों के लिए मेडिकल कैम्प लगाएं तथा शेष शरण स्थलों के लिए मोबाइल मेडिकल टीम गठित करें। प्रत्येक मोबाइल टीम के साथ दो या तीन शरण स्थली सम्बद्ध रहेंगे। सम्बद्ध शरण स्थलों पर मेडिकल टीम की उपलब्धता का निर्धारित समय पूर्व से ही बनाकर सूचना पट पर अंकित कर दी जाएगी।

9. तैयार भोजन की व्यवस्था

बाजार में चूड़ा, गुड़, सत्तु आदि की उपलब्धता का जायजा कर लें तथा rate contract करा लें ताकि आवश्यकतानुसार उपलब्धता में विलंब न हो। पैकेट तैयार करने हेतु टीम का गठन भी कर ली जाय।

10. पशु चिकित्सा

पशु धन किसानों के लिए महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। बरसात के दौरान/बाढ़ के समय पशुएं विभिन्न प्रकार की बिमारियों के शिकार होते हैं। चयनित शरण स्थली के निकट पशु चिकित्सा शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बाढ़ के दौरान सत्यापन कर यह सुनिश्चित करें कि यह शिविर कार्यरत है। पशु चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाओं की उपलब्धता जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार पशु संसाधन विभाग के परामर्श से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। यदि पशु संसाधन विभाग को इसके लिए आवंटन उपलब्ध नहीं हो तो आपदा प्रबंधन विभाग से इसके लिए आवंटन मांग।

11. साहाय्य वितरण केन्द्र

गत बाढ़ के दौरान यह देखा गया कि पूर्व से साहाय्य केन्द्र निर्धारित नहीं रहने के कारण बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत पहुंचाने में विलंब हुआ। सर्वेक्षण करके अभी से विभिन्न क्षेत्रों में किस स्थान से बाढ़ राहत का वितरण किया जाएगा, यह सुनिश्चित कर लें।

12. समीक्षा तथा प्रतिवेदन

बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में जिला के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में 10 मई के पूर्व एक बैठक अवश्य बुला लें एवं की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए 25 मई के आस-पास पुनः बैठक आयोजित कर लें।

तैयारी के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में बिन्दुवार प्रतिवेदन 30 मई को भेजें।

विश्वासभाजन

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक-1082/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 2/5/08

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, कृषि विभाग/ पशुपालन एवं मत्स्य विभाग/ खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग/ गृह विभाग/पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ परिवहन विभाग/जल संसाधन विभाग/ श्रम एवं नियोजन विभाग/ ऊर्जा विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/पंचायती राज विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/विज्ञान एवं तकनीकी विभाग/ नगर विकास विभाग/ भारतीय खाद्य निगम/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य असैनिक आपूर्त्ति निगम/ प्रधान सचिव/सचिव, सभी कार्य विभाग/ आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आर० के० सिंह)
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग